

4RBR[28/2/2020]

प्रश्न सं. [क. 552]

352 552

कार्यालय जनपद पंचायत, बुरहानपुर

क्र/2762/संशासि.-3/नियुक्ति/

ગુરુદ્વારા દિન

32-2007

— आपैश —

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ग्रामीण बुरहानपुर भवन, शोपाल १५-१६, ०१ रियायर 2005 गे दिये गये नियमों के तहत एवं कार्यालय कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा आदेश क्रमांक कलेक्टर/संश.शि./०६/४१७८ बुरहानपुर दिनांक 12/०५/२००६ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार जनपद पथाघाट बुरहानपुर द्वारा नियंत्रणाधीन रकूत शिक्षा विभाग द्वारा स्थानित प्राथमिक विद्यालयों में सहित शाला शिक्षक ग्री - ०३ को रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का विषयवार सर्वाधार ध्यन कर उनके नाम के समक्ष दर्शाइ गई शिक्षापूर्ण रारथाओं में रु. 2500/- (अर्थात् दो हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिसाह वेतन निश्चित वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। १४ रविवार नियुक्ति दस्तूर पी. ८२८६/२००३, ७८२८/२००६ एवं ७४४०/२००६ मैं पानीनीय उच्च न्यायालय छालबंपर द्वारा पारित होने वाले आदेश के अधीन रहेंगी।

प्रमाणक	धर्यनित प्रस्त्वाशी का नाम मय पिता / पति	पु. / म.	धर्यनित प्रयोग	पदस्थ शाला का नाम
1	2	3	4	5
1	दुनाल श्रीमाली	पु. ५५४५५५६	श्री अष्टावश्च	श्री राजा हलनपुरा

आपात्र लिंग =

ये नियुक्ति अधिकारम् 03 वर्षों के लिये की गई है। प्रत्येक वर्ष में अध्यर्थी को कार्य व्यवहार, आदरण तथा प्रदर्शन के भूत्याकृति के आधार पर उसे आगामी वर्ष में सविदा वृद्धि प्रदान की जा सकेगी। प्रत्येक 03 वर्ष की कालावधि को पूर्ण होने पर सविदा शाला शिक्षक उसारे¹; जो सविदा पारिश्रमिक की तुलना में अपने सविदा पारिश्रमिक में 15 प्रतिशत की वृद्धि का इकादशर होगा।

यह नियुक्ति पूर्णतः नियोजनकर्ता एव अधीरी के मध्य हुई सरिवा शर्तों के अधीन प्रभावशोल रहेगी। अन्यथा पदाक्रित सरथा में दिनांक १.८.२०७८ दिन तक इस एव दिनांक २.२.२०८१ दिन तक इसके बीच की अवधि में ही पदाक्रित सरथा में पदभार प्रहण करे ५ निर्धारित अवधि में पदभार प्रहण न करने पर अधीरी की नियुक्ति स्वयमेष निश्चत मानी जावी। जिसका उत्तरदायित्व स्वयं का होगा।

संसद्या में पदभार ग्रहण करने पर जित के विविध सर्जन द्वारा प्रदत्त मेडिकल फिल्मेस प्रमाण पत्र मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदभार ग्रहण करने और प्रश्नात अध्यर्थी के धरित्र के स्थापन की ऊंच अध्यर्थी के गृह जिसे निवासरत याले के पुलिस अधीक्षक के भाईयम से कहायादी जाकरी, वे प्रतिवृक्ष राष्ट्र पाये जाने पर अध्यर्थी को सम्पूर्ण सुनवायी का अध्यर्थ प्रदान किये जाने के उपरान्त नियकित सविद्या रद्द कर दी जावेगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत युरहानपुर
युरहानपुर दिनांक : ७ .

प.क्र./८३६३/संशालि-३/नियमित/

प्रतिलिपि -

- आयुक्त इंदौर संभाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थी सादर प्रेषित।
 - आयुक्त सोक शिवाज मप्र भोपाल दी आइ पुरानी सूचनार्थी सादर प्रेषित।
 - कलेक्टर जिला युरहानपुर की ओर सूचनार्थी सादर प्रेषित।
 - मुख्य कार्यालय अधिकारी जिला पंचायत युरहानपुर की ओर सूचनार्थी सादर प्रेषित।
 - जिला शिक्षा अधिकारी जिला युरहानपुर की ओर सूचनार्थी सादर प्रेषित।
 - विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी युरहानपुर की ओर सूचनार्थी सादर प्रेषित।
 - संकुल प्राधार्य — जिला युरहानपुर की ओर सूचनार्थी सादर प्रेषित कर लेख है कि पदभार प्राप्त करने के पूर्व उसके मूल दृष्टिकोण की ओर कर लेये तथा उनकी प्रामाणित कोटीकाँसीयों का एक सेट तथा मूल मेडिकल फिटनेस प्रोफेशनल अनिदर्यत प्राप्त कर। घरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु सबंधी अभ्यर्थी से निर्धारित अनुग्रहाण कार्यालय में आवश्यक पूर्णी करायाकर कार्यालय प्राप्तिकर प्राप्त अन्य कार्यालयों को भी राय इस कार्यालय में अनिवार्यत प्रेषित कर। कर्म्मांगर प्राप्त प्रतिवेदन की रूप प्रतियों अन्य कार्यालयों को भी आवश्यक प्रेषित की जाय।
 - प्रधान पाठ्य शास्त्रानुसूची की ओर सूचनार्थी प्रेषित।
 - संबंधित अभ्यर्थी क्रमांक — विषय सूचनार्थी एव पालनार्थ।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग



५०

मध्यप्रदेश परीक्षा बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्यप्रदेश संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 पात्रता परीक्षा 2005

प्रमाण-पत्र सह अंकसूची

प्रमाण-पत्र क्रमांक.....
0170424

रोल नम्बर.....
08303129



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी SHRIMALI KUNAL
 माता का नाम श्रीमती SANDHYA SHRIMALI
 पिता/ पति का नाम श्री DEEPAK SHRIMALI

मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 एवं मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के अन्तर्गत आयोजित संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 की पात्रता परीक्षा 2005 में सम्प्रीति दर्ता, हई है। इन्होंने पात्रता परीक्षा में कुल 130 (एक सौ तीस) अंकों में से 45.76 अंक (FOUR FIVE POINT SEVEN SIX) प्राप्त किए हैं। उपर्युक्त नियमों के नियम 6 के आधार पर इन्हें प्राप्तोत्तरी विधिवत् दिला पंचायतों, बनपद पंचायतों, नगरीय निकायों द्वारा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 को सिए विज्ञानिक विद्यालयों के द्वितीय आवेदन प्राप्तन करने परीक्षा पात्रता प्राप्त हो गई है। परन्तु इस प्रमाण-पत्र के कानून पर इसे इसी रूपरूप से दिलाया जाना चाहिए। अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है।

इस प्रमाण-पत्र के आधार पर संर्थित की इस अधिकारी, व्यावरणिक एवं व्यवसायी समर्पण अधिकारी (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा जाति) आदि को पुगा जाना चाहिए।

(3)
अनुमान अधिकारी दिन तिथि घण्टा
स. विजय प्रियग मध्यप्रदेश